## माटीकला से जुड़े हुए कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर

**मुरादाबाद :** उप्र. माटीकला बोर्ड के स्थापना के नौ वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में माटीकला बोर्ड स्थापना पखवाड़ा के तहत जनपद स्तरीय जागरुकता कार्यक्रम हुआ।

कार्यक्रम में माटीकला से जुड़े कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को बोर्ड की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एमएलसी रामगोपाल उर्फ गोपाल अंजान ने किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पारंपरिक माटीकला को नई पहचान दिलाने के साथ आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इस क्षेत्र को सशक्त बना रही है।

उन्होंने कारीगरों से बोर्ड की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने माटीकला टूल किट वितरण, माटीकला रोजगार, माटीकला शिल्पकारी तथा कामन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभों की जानकारी दी। वि.

# बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट शव अदीला का बताया, अब बैकफुट पर पुलिस

## शहनुमा की गला दबाकर हुई थी हत्या तो अदीला की गोली मारकर

**जागरण संवाददाता, मुरादाबाद :** पुलिस की जल्दबाजी और हत्याकांड के जल्द राजफाश करने में बरती गई लापरवाही ने अदीला हत्याकांड की विवेचना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने रुड़की के मंगलौर में मिले युवती के शव को बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाने ही अदीला का घोषित कर दिया। पुलिस की थ्योरी के अनुसार अदीला की हत्या गोली मारकर की गई थी, जबकि जिस शव को अदीला का बताया गया उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इतना ही नहीं जब शव पर एक और परिवार ने दावा किया तब भी पुलिस ने डीएनए जांच कराने की बात कही। प्रकरण में आरोपित को रिमांड पर लेकर मंगलौर तक जांच करने, पूरे घटनाक्रम की पड़ताल के साथ पुलिस की विवेचना अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि अब पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर शव को अदीला का नहीं मान रही और शव की तलाश के लिए एक बार फिर हरिद्वार पहुंची है।

कटघर के कोहिनूर तिराहा निवासी कारोबारी अदिब उर रहमान की बेटी अदीला की हत्या का आरोप उसके ही पति गुलफाम अली पर है। पुलिस के अनुसार आरोपित ने 29 जून की रात गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद आरोपित ने एक जुलाई को पुराने मामले में रामपुर कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया था। 17 जुलाई को अदीला की मां ने गुलफाम अली और इसके भाई कुरबान अली के खिलाफ बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर आरोपित से जेल में जाकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार आरोपित ने बताया कि हत्या करने के बाद शव को रुड़की ले जाकर जाकर नहर में फेंक दिया था। पुलिस रुड़की पहुंची तो पता चला कि चार जुलाई को एक अज्ञात युवती का शव मंगलौर में मिला था।

कटघर पुलिस मंगलौर पहुंची तो पता चला कि शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस फोटो लेकर अदीला के घर पहुंची। चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। ऐसे में अदीला के पिता ने बेटी का शव होने की बात बताई और पुलिस ने भी इसे अदीला का शव मान लिया। सोमवार को पुलिस ने आरोपित की 24 घंटे की रिमांड कस्टडी ली। आरोपित को लेकर उस स्थान पर भी पहुंची जहां उसने शव फेंकने का दावा किया था। पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया और तीन गोली मारने की बात सामने आने पर भी जो शव मिला में उसमें गोली के निशान या गोली न मिलने की ओर ध्यान नहीं दिया। इस बीच इसी शव को हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र के गांव अलीपुर निवासी मोमिन ने अपनी बेटी शहनुमा का भी बताया। जिस पर पुलिस ने डीएनए जांच कराने की बात कहनी शुरू कर दी। अब जाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो पता चला कि इसमें गोली लगने से मौत का कारण नहीं है। जिस पर पुलिस भी मान रही है कि शव अदीला का नहीं है और गुरुवार की शाम अदीला के शव की तलाश को पुलिस की एक टीम हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम हरिद्वार गई है। वहां पर अदीला के शव की तलाश की जा रही है।

## नशा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन : प्रो. चारू

जासं, मुरादाबाद: गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कालेज में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. चारू मेहरोत्रा ने किया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

# यूनियन ने रखीं मांगें, रेल प्रशासन ने दिया भरोसा

- डीआरएम की अध्यक्षता में हुई स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक
- कर्मचारी हित और रेल विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा

**जासं, मुरादाबाद :** उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल कार्यालय स्थित मनन सभागार में नार्दन रेलवे मेंस यूनियन और रेल प्रशासन के बीच हुई दो दिवसीय स्थायी वार्ता तंत्र का गुरुवार को समापन हो गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव ने की। इस दौरान रेल विकास, कर्मचारी हितों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में रेल प्रशासन और यूनियन के पदाधिकारियों ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। यूनियन ने कर्मचारियों की समस्याओं और विभिन्न मांगों को रखा। जिन पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि रेलवे की कार्यप्रणाली को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना प्रशासन की प्राथमिकता है। स्थायी वार्ता तंत्र का आयोजन का उद्देश्य समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से करना है।

बैठक में अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रा) प्रेम शंकर झा, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक ठाकुर सहित मंडल के सभी विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। नार्दन रेलवे मेंस यूनियन की ओर से केंद्रीय उपाध्यक्ष एमपी. चौबे, मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, मंडल मंत्री राजेश चौबे तथा विभिन्न शाखाओं के अध्यक्ष और मंत्री शामिल हुए।


## कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बहजोई, जनपद सम्भल

पत्रांक –882/लेखा/2026–27 दिनांक 29.07.2026

### मैन्यूअल निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विकास खण्ड बहजोई जनपद सम्भल में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों से राज्य वित्त/क्षेत्र निधि एवं केन्द्रीय वित्त (क्षेत्र पंचायत) वित्तीय वर्ष 2026–27 के अन्तर्गत निम्न लिखित निर्माण कार्य करने हेतु मोहर बंद निविदायें दिनांक 15.08.2026 को अपराह्न 2 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 15.08.2026 को अपरान्ह 3 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष ब्लाक स्तरीय कमेटी के द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 30.07.2026 पूर्वाह्न 11 बजे से दिनांक 15.08.2026 अपराह्न 1 बजे तक पूर्व निर्धारित मूल्य पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र उन्हीं निविदादाताओं को निर्गत किया जायेगा जिनका पंजीयन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में होगा। निविदा प्रपत्र के साथ प्राक्कलन लागत की 02 प्रतिशत धरोहर राशि राष्ट्रीय बचत पत्र / एफ.डी.आर. के माध्यम से जो खण्ड विकास अधिकारी बहजोई के नाम बंधक होना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत | धरोहर धनराशि | निविदा मूल्य+ जी.एस.टी | कार्य पूर्ण कराने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ग्राम पंचायत परतापुर में सामुदायिक शौचालय से चौखे के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य | 999000 | 19980 | 1000 | 3 माह |

**नियम व शर्तें –**

1. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।
2. खण्ड विकास अधिकारी बहजोई (सम्भल) को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
3. प्रत्येक निविदा के साथ अनुबंध के समय 03 प्रतिशत जमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में खण्ड विकास अधिकारी, बहजोई के पक्ष नाम बंधक होगी।
4. निविदा खोले जाने के समय निविदा दाता की उपस्थिति वांछनीय होगी।
5. प्रत्येक निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र, श्रम विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग / सिचाई विभाग/जिलापंचायत/पी.डब्लू.डी. में पंजीकरण की प्रति कार्यालय में सत्यापन हेतु प्राप्त करानी होगी। साथ ही ठेकेदार / फर्म का पंजीकरण विकास खण्ड बहजोई में भी होना अनिवार्य है।
6. नियमानुसार आयकर, जी.एस.टी, लेबर सेस, एवं 5 प्रतिशत जमानत राशि आदि की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जायेगी।
7. निविदादाता को टेण्डर डालने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण करना होगा, बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
8. शासनादेशानुसार निविदा के साथ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर व रू01/– का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक सप्ताह के अंदर अनुबंध करना होगा। अन्यथा की दशा में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. कार्य आदेश से पूर्व श्रमिकों का पंजीकरण कराकर श्रम विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदा डालने/खोलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में आगामी तिथि को डाली/खोली जायेगी।
12. सभी कार्य मय सामग्री मजदूरी सहित कराने होंगे, कार्य के निरीक्षण में पायी गयी कमियों के लिये ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगा।
13. निविदादाता कार्यालय में किसी भी समय में नियम व शर्तों की जानकारी जे.ई.आर.ई.डी. बहजोई से प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी नियम का जिक्र छूट जाता है तो वह किसी भी समय जोड़ा जा सकता है।
14. उक्त निविदाओं के तहत किये गये कार्यों भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर ही किया जायेगा।
15. निविदा धनराशि क्षेत्र पंचायत निधि विकास खण्ड बहजोई के खाता संख्या–0543000100273146 एवं आई.एफ.एस. कोड–PUNB0054300 पर जमा किया जा सकता है।
16. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सम्भल होगा।

खण्ड विकास अधिकारी
बहजोई (सम्भल)



## कार्यालय-ग्राम पंचायत बहादुरगंज, विकास खण्ड सैदनगर, रामपुर

### अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, फर्मों/एजेन्सी विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बहादुरगंज वि.ख. सैदनगर जनपद रामपुर में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित कार्य [illegible] वित्तीय वर्ष 2026–27 के अनुसार पंचायत [illegible] के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निविदा/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म एवं आपूर्तिकर्ता दिनांक 31.07.2026 से 06.08.2026 तक निविदा [illegible] 12 बजे तक ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सीलबंद लिफाफे में निविदा/कुटेशन दर्ज करायें। निविदा/कुटेशन खोलने का समय उसी दिन 02 बजे खोली जायेगी। [illegible]

| क्र.सं. | सामग्री का नाम | मात्रा | दर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सीमेन्ट | प्रति बैग | |
| 2 | बालू रेता/लोकल रेत | घन मी. | |
| 3 | [illegible] | घन मी | |
| 4 | 20 एम.एम. बजरी | घन मी. | |
| 5 | 40 एम.एम. क्रेश बालू | घन मी | |
| 6 | ईंट प्रथम कोटी एम-150 | प्रति हजार | |
| 7 | ईंट [illegible] 275 | प्रति हजार | |
| 8 | सी.सी. इंटरलॉकिंग टाइल्स 80 एम.एम. [illegible] | प्रति मी.(वर्ग) | |
| 9 | सी.सी. इंटरलॉकिंग टाइल्स 80 एम.एम. [illegible] | प्रति मी.(वर्ग) | |
| 10 | नीम के खम्भे | प्रति मीटर | |
| 11 | फर्नी [illegible] | प्रति मीटर | |
| 12 | सरिया/[illegible] | प्रति कुन्तल | |
| 13 | [illegible] | प्रति कुन्तल | |
| 14 | [illegible] | प्रति घन मीटर | |
| 15 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 16 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 17 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 18 | [illegible] | प्रति | |
| 19 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 20 | [illegible] | प्रति किलो ग्राम | |
| 21 | [illegible] | प्रति किलो ग्राम | |
| 22 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 23 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 24 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 25 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 26 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 27 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 28 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 29 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 30 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 31 | [illegible] | मी./मीटर | |
| 32 | [illegible] | मी./मीटर | |
| 33 | [illegible] | प्रति | |
| 34 | [illegible] | मीटर | |
| 35 | [illegible] | प्रति मी. 1000 लीटर | |
| 36 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 37 | [illegible] | प्रति मी./मीटर | |
| 38 | [illegible] | प्रति कुन्तल | |
| 39 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 40 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 41 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 42 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 43 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 44 | [illegible] | प्रति मी./मीटर | |

नियम व शर्तें–[illegible]

ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव — ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बहादुरगंज — ग्राम पंचायत बहादुरगंज
विकास खण्ड सैदनगर जनपद रामपुर — विकास खण्ड सैदनगर जनपद रामपुर


# छेड़छाड़ में घिरे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, जांच शुरू

**जागरण संवाददाता, मुरादाबाद :** थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़, मारपीट, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अजयवीर उर्फ पप्पू समेत दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीड़िता के अनुसार, 13 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे वह अपने मकान के पास टहल रही थी। तभी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अजयवीर उर्फ पप्पू और दो अन्य लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि आरोपितों ने पहले उसके साथ गाली-गलौज की और पुरानी रंजिश के चलते जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। जब पीड़िता ने गाली-गलौज और अपमानित किए जाने का विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ धक्का मुक्की की। महिला का यह भी आरोप है कि आरोपितों ने उसके साथ धक्का-मुक्की की, अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। आरोपितों में से एक के हाथ में बंदूक थी और उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

पीड़िता ने मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की। जिसके बाद थाना पुलिस ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अजयवीर उर्फ पप्पू सहित दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुदेश पाल सिंह ने बताया कि महिला द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। घटना की निष्पक्ष जांच की जा रही है और पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा भी मामले की विवेचना की जा रही है।

## धमकी देने वाली महिला गिरफ्तार

संस, हिलारी: पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने वाली महिला मेहरुल उर्फ मेहरुन्निसा को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। उसे जेल भेज दिया गया। करीब 10 साल पहले फिरोजाबाद के मुकेश कुमार परिवार सहित जटपुरा में आकर रहने लगे। वहां चूड़ियां बनाते व बेचते थे।

बीती 22 जुलाई को मुकेश कुमार किसी जरूरी काम से फिरोजाबाद गए हुए थे, घर पर उनका बेटा अनस व पुत्रवधू मंजू थी। जल निकासी को लेकर पड़ोसी जब्बार आदि से झगड़ा हो गया। पुलिस ने जब्बार को जेल भेज दिया, लेकिन जब्बार की पत्नी मेहरुल उर्फ मेहरुल निशा आदि पीड़ित परिवार को धमकी देने लगी। परेशान मुकेश मकान को बेचकर पलायन करने को मजबूर हो गये। अपने घर पर फ्लेक्सी लगा दिया।

## 20 हजार की नकदी व लाखों के आभूषण समेट ले गए चोर

संस, जागरण • ठाकुरद्वारा: बेखौफ चोर क्षेत्र के गांव कनकपुर पिपली में एक घर से बीस हजार रुपये की नकदी समेत लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर ले गए। चोरों ने एक दो मंजिला मकान को निशाना बनाते हुए छत के रास्ते प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। यह घटना एक बार फिर रात्रि गश्त और पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर रही है।

गांव कनकपुर पिपली निवासी अनिल कुमार का परिवार बुधवार रात मकान की दूसरी मंजिल पर सो रहा था, जबकि छोटे बच्चे नीचे थे। इसी दौरान चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए। चोरों ने कमरों में रखी अलमारी और संदूकों के ताले तोड़कर 20 हजार रुपये की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। गुरुवार सुबह करीब पांच बजे जब गृहस्वामिनी सफाई के लिए नीचे पहुंची, तो कमरों के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। यह देखकर उनके होश उड़ गए। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी है और अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर सौंपी है।


## कार्यालय-ग्राम पंचायत करनपुर, विकास खण्ड सैदनगर, रामपुर

### अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, फर्मों/एजेन्सी विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत करनपुर वि.ख. सैदनगर जनपद रामपुर में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित कार्य [illegible] वित्तीय वर्ष 2026–27 के अनुसार पंचायत [illegible] के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निविदा/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म एवं आपूर्तिकर्ता दिनांक 31.07.2026 से 06.08.2026 तक निविदा [illegible] 12 बजे तक ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सीलबंद लिफाफे में निविदा/कुटेशन दर्ज करायें। निविदा/कुटेशन खोलने का समय उसी दिन 02 बजे खोली जायेगी। [illegible]

| क्र.सं. | सामग्री का नाम | मात्रा | दर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सीमेन्ट | प्रति बैग | |
| 2 | बालू रेता/लोकल रेत | घन मी. | |
| 3 | [illegible] | घन मी | |
| 4 | 20 एम.एम. बजरी | घन मी | |
| 5 | 40 एम.एम. क्रेश बालू | घन मी | |
| 6 | ईंट प्रथम कोटी एम-150 | प्रति हजार | |
| 7 | ईंट [illegible] 275 | प्रति हजार | |
| 8 | सी.सी. इंटरलॉकिंग टाइल्स 80 एम.एम. [illegible] | प्रति मी.(वर्ग) | |
| 9 | सी.सी. इंटरलॉकिंग टाइल्स 80 एम.एम. [illegible] | प्रति मी.(वर्ग) | |
| 10 | नीम के खम्भे | प्रति मीटर | |
| 11 | फर्नी [illegible] | प्रति मीटर | |
| 12 | सरिया/[illegible] | प्रति कुन्तल | |
| 13 | [illegible] | प्रति कुन्तल | |
| 14 | [illegible] | प्रति घन मीटर | |
| 15 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 16 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 17 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 18 | [illegible] | प्रति | |
| 19 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 20 | [illegible] | प्रति किलो ग्राम | |
| 21 | [illegible] | प्रति किलो ग्राम | |
| 22 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 23 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 24 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 25 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 26 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 27 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 28 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 29 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 30 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 31 | [illegible] | मी./मीटर | |
| 32 | [illegible] | मी./मीटर | |
| 33 | [illegible] | प्रति | |
| 34 | [illegible] | मीटर | |
| 35 | [illegible] | प्रति मी. 1000 लीटर | |
| 36 | [illegible] | प्रति मीटर | |
| 37 | [illegible] | प्रति मी./मीटर | |
| 38 | [illegible] | प्रति कुन्तल | |
| 39 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 40 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 41 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 42 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 43 | [illegible] | प्रति मी. | |
| 44 | [illegible] | प्रति मी./मीटर | |

नियम व शर्तें–[illegible]

ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव — ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत करनपुर — ग्राम पंचायत करनपुर
विकास खण्ड सैदनगर जनपद रामपुर — विकास खण्ड सैदनगर जनपद रामपुर



## पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

सर्किल कार्यालय : ARMB शाखा, रामगंगा विहार, निकट सेल टैक्स, मुरादाबाद (यू.पी.)
EMAIL: cs8281@pnb.co.in

## ई–नीलामी विक्रय सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना**

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना, आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक पड़ी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक / प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को सम्बन्धित कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) से बैंक प्रतिभूत लेनदार के पास उनके बकायों की वसूली हेतु, निम्नांकित सारणी के अंकितानुसार तिथि को **"जैसी है जहां है", "जो भी है वही है"** आधार पर बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि, सम्बन्धित सम्पत्तियों के समक्ष निम्न सारणी में अंकितानुसार होगी।

**ई–नीलामी की तिथि एवं समय– 24.08.2026 प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक एवं शाखाः ARMB (828100), मुरादाबाद**

| क्र. सं. | कर्जदार/बंधककर्ता/ गारंटर का नाम | बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति स्वामी का नाम | सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना की तिथि / सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि / कब्जे की प्रकति | आरक्षित मूल्य (रूपये में) / ईएमडी (रूपये में) / बोली वृद्धिशील राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मैसर्स महमूद राइस मिल, श्री अबरार अहमद पुत्र श्री अब्दुल वाहिद (साझेदार एवं गारंटर), श्री गुलजार अहमद पुत्र श्री अब्दुल वाहिद (साझेदार और गारंटर), श्रीमती। शबीना जुनैद पत्नी श्री जुनैद अहमद (साझेदार और गारंटर), श्री मो. अरशद पुत्र श्री नवी हसन (साझेदार और गारंटर) और श्रीमती सहाना बेगम पत्नी श्री. अखलाक अहमद (साझेदार और गारंटर)। | साम्यिक सम्पत्ति स्थित है चावल मिल की ज़मीन और इमारत जो खाता सख्याः 42, गाटा सख्याः 6, गाँव – मेउंडी, भारत पेट्रोल पंप के पास, तहसील –मिलक, ज़िला – रामपुर, (यू.पी.) जिसका क्षेत्रफल 12140.00 वर्ग मीटर है (नामित है महमूद राइस मिल), पंजीकृत है बही सख्याः 1, जिल्द सख्याः 2057, पृष्ठ सख्याः 59 – 72, क्रम सख्याः 4946, दिनांक 11.11.2010,सब रजिस्ट्रार कार्यालय मिलक, रामपुर **चौहद्दीः उत्तरः** गुलज़ार की ज़मीन, **दक्षिणः** चक रोड, **पूर्वः** फरियाल हुसैन का प्लांटेशन, **पश्चिमः** अखलाक अहमद की ज़मीन। | 03.06.2025 / रू. 3,66,17,241.23/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 03.06.2025 से प्रभावी / सांकेतिक कब्जा | रू. 3,06,63,000/- / रू. 30,66,300/- / रू. 1,00,000/- |
| 2 | गर्जिया इंटरप्राइजेज (फर्म), ओम प्रकाश गंगवार पुत्र थान सिंह, श्रीमती सुनीता पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश गंगवार, कार्तिक गंगवार पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश गंगवार, उत्कर्ष गंगवार पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश गंगवार | सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से स्थित है गाँव रसडंडिया, तहसील मिलक, ज़िला रामपुर (यू.पी.) पंजीकृत है बही सख्याः 1, जिल्द सख्याः 3151, पृष्ठ सख्याः 59 से 130, क्रम सख्याः 7095 दिनांक 09.11.2016 जिसका कुल क्षेत्रफल 100.33 वर्ग मीटर है; (नामित है ओम प्रकाश गंगवार पुत्र थान सिंह) **चौहद्दीः उत्तरः** खरीदार का घर; **दक्षिणः** दूसरों की ज़मीन; **पूर्वः** मिलक से बिलासपुर रोड; **पश्चिमः** विक्रेता की ज़मीन। | 08.08.2023 / रू. 38,45,934.00/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 08.08.2023 से प्रभावी / सांकेतिक कब्जा | रू. 23,03,000/- / रू. 2,30,300/- / रू. 25,000/- |
| 3 | श्री शबलू खान पुत्र मोहम्मद इरफान और असलम पुत्र दिलावर हुसैन (सह–ऋणी) | सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से स्थित है LIG प्लॉट नंबर 06, सीतापुरी दस सराय, MDA आवासीय योजना, तहसील और ज़िला मुरादाबाद (यू.पी.) पंजीकृत है बही सख्याः 01, जिल्द सख्याः 17611, पृष्ठ सख्याः 31 से 46 और सेल डीड सख्याः 558, दिनांक 07.01.2022, जिसका कुल क्षेत्रफल 61.20 वर्ग मीटर (नामित है शब्लू खान पुत्र मो. इरफान) **चौहद्दीः उत्तरः** LIG प्लॉट नंबर 05, **दक्षिणः** LIG प्लॉट नंबर 07, **पूर्वः** अन्य ज़मीन, **पश्चिमः** 9.00 मीटर चौड़ी सड़क। | 25.10.2023 / रू. 31,60,513.08 /- + ब्याज और अन्य शुल्क, 25.10.2023 से प्रभावी / सांकेतिक कब्जा | रू. 23,70,000/- / रू. 2,37,000/- / रू. 25,000/- |
| 4 | मैसर्स अल–हक फूड्स, श्री अहतशामुल हक पुत्र श्री हाजी तहुअर हक, मिस जवेरिया नूर पुत्री लेफ्टिनेंट श्री अहतशामुल हक, मिस अमरा नूर पुत्री लेफ्टिनेंट श्री अहतशामुल हक, श्री इनाम उल हक पुत्र लेफ्टिनेंट श्री अहतशामुल हक, श्रीमती रूबीना पत्नी श्री अहतशामुल हक, मो. खालिद पुत्र मो. शाहिद, श्री. नसर आदिल कुरेशी पुत्र श्री जफर आदिल कुरैशी। | **संपत्ति सं. 01:** साम्यिक औद्योगिक भवन जिसका क्षेत्रफल 3480 वर्ग मीटर, खसरा सं. 461 मी, ग्राम–मौजा– भोजपुर, धरमपुर, एहतमाली, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश (नामित है श्री अहतशामुल हक पुत्र श्री हाजी तहुआरहक), पंजीकृत है बही संख्याः 01, जिल्द संख्याः 5952, पृष्ठ संख्याः 1–16, क्रम संख्याः 13422, दिनांक 29.10.2007 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय मुरादाबाद (यू.पी.)<br>**संपत्ति सं. 02:** साम्यिक औद्योगिक भवन जिसका क्षेत्रफल 3190 वर्ग मीटर, खसरा सं. 461 मी (1/4 क्षेत्र) और खसरा सं. 462, गाँव–मौजा– भोजपुर, धरमपुर, अहतमाली परगना मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश (नामित है श्री अहतशामुल हक पुत्र श्री हाजी तहुआरहक), पंजीकृत है बही संख्याः 1, जिल्द संख्याः 6283, पृष्ठ संख्याः 231–250, क्रम संख्याः 6982 , दिनांक 31.05.2008 सब–रजिस्ट्रार कार्यालय मुरादाबाद (यू.पी.)<br>**संपत्ति सं. 03:** साम्यिक 910 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला प्लॉट खसरा नंबर 454, गांव – मौजा – भोजपुर, धर्मपुर, मुरादाबाद, (यू.पी.) में स्थित है (श्री अहतशामुल हक पुत्र श्री हाजी तहुअर हक), सब–रजिस्ट्रार कार्यालय – मुरादाबाद, दिनांक 28.04.2015 ,बही संख्याः 1, जिल्द संख्याः 11749, पृष्ठ संख्याः 363 – 380, क्रम संख्याः 7105, दिनांक 28.04.2015 सब–रजिस्ट्रार कार्यालय मुरादाबाद (यू.पी.)<br>**संपत्ति सं. 04:** 2895 वर्ग मीटर एरिया वाली ज़मीन की EM जो खसरा संख्याः 466 और खसरा नंबर 470/1261, गांव – भोजपुर, धर्मपुर, एहतमाली, परगना और तहसील – मुरादाबाद, (यू.पी.) में स्थित है (श्री अहतशामुल हक, पुत्र श्री हाजी तहुअर हक), सब–रजिस्ट्रार कार्यालय–